रजिस्टर्ड / अत्यावश्यक

संख्या–663 / नौ–2–2015–11(3) / 2007

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागपत।

नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊः :दिनॉक 21 मई , 2015

विषय :नगर पंचायत खेकडा जनपद बागपत को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बनाये जाने के पश्चात उसके प्रबन्धन / प्रशासन के सबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पंत्राक–296 / एल0बी0सी0 / 2015, दिनांक 25. 04.15 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद खेकडा के प्रशासन / प्रबन्धन के सबंध में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या–535 / 9–2–15, दिनांक 01.04.15 द्वारा नगर पंचायत खेकडा को नगर पालिका परिषद खेकडा के रूप में उच्चीकृत किया गया है। नगर पालिका परिषद खेकडा के प्रशासन / प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–342 मे नगर पालिकाओं में गठन तक के लिए निम्नवत व्यवस्था दी गयी है:–

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक नगर पालिका बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों, नोटिफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष जैसे कि वे उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम–1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थे, की सभी शक्तियॉ, कृत्य और कर्तव्य, ऐसे प्रारम्भ कर, जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेगें और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनका प्रयोग पालन और निर्वहन किया जायेगा जो नगर पालिका बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों के सबंध में नगर पालिका परिषद, उसका अध्यक्ष और समितियॉ समझा जायेगा और नोटिफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसका अध्यक्ष के सबंध में नगर पंचायत और उसका अध्यक्ष समझा जायेगा। जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, और यथास्थिति , उसे नगर पालिका, उसका अध्यक्ष या समिति या नोटिफाइड एरिया कमेटी, या उसका अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष समझा जायेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उक्त समस्त या किसी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट जिसमें किसी नगर पालिका और उसके अध्यक्ष या नोटिफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष की शक्ति,कृत्य और कर्तव्य उत्तर प्रदेश नगर पालिकाओं, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1994 के अधीन निहित है जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्ति प्रतिनिहित कर दी है, में इस धारा के उपबन्धों के अधीन ऐसी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य निहित समझे जायेगें।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के गठन के लिए निर्वाचन उ0प्र0 नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से डेढ वर्ष के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार करायें जायेगें और यथास्थिति नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के गठित हो जाने पर उपधारा (1), (2) (3) के उपबन्ध प्रभावी नही रह जायेगें।

3— इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा—342 में वर्णित उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ / अधि०अधि०न०पा०प० खेकड़ा।
(2) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4) नगर विकास अनुभाग—1,4,5,6,8,9 ।
(5) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे नगर विकास विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करें।

आज्ञा से,

(आर0वी0 सिंह)
सचिव।